न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/55/2023	2023/322	26-07-2023	30.10.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. अनिता सैनी पत्नी श्री लक्ष्मण सैनी, निवासी कच्ची बस्ती, धोबी गट्टा, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा) को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री शकूर खान। —वकील अप्रार्थी।

——:: निर्णय ::——

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 05 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) एचपी कम्पनी गैस को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 18.10.2022 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु धोबी गट्टा, कच्चदी बस्ती में अनिता सैनी के आवास पर स्थित मिठाई के कारखाने पर पहूंचे। मौके पर घर में संचालित कारखाने में मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था तथा उसमें व्यावसायिक सिलेण्डर के स्थान पर घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) का उपयोग किया जा रहा था। मौके पर जांच में 05 घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के भरे हुए पाये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अनिता सैनी पत्नी श्री लक्ष्मण सैनी, निवासी कच्ची बस्ती, धोबी गट्टा, अलवर द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा) वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 05 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) को मै0 ज्योति गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी 8 बापू बाजार, अशोका सिनेमा के पास, अलवर को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा) को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 बी सपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के अन्तर्गत गलत व मिथ्या जानकारी के आधार पर दिया गया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। मिन प्रार्थीया घरेलू महिला है तथा सामूहिक परिवार में रहते हैं जिस कारण से मिन प्रार्थीया के नाम से दो गैस सिलेण्डर नियमानुसार अधिकृत वितरक से लिया हुआ है एवं तीन अपने परिवार कुटूम्बिक सदस्यों के हैं जिन्हें भरवा कर अपने परिचित की मिठाइयों की दुकान पर घर ले जाने के लिये रखे हुये थे और घर ले

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जाने वास्ते साधन का इंतजार कर रहे थे, तभी जांच दल ने गलत आधारों पर रिपोर्ट बना कर मिन प्रार्थीया व उसके कुटूम्बिक सदस्यों के घरेलू सिलेण्डरों को जब्त किया जो काबिल निरस्त है। प्रार्थीया व उसके कुटूम्बिक सदस्यों का गलत प्रकार से घरेलू सिलेण्डरों का जब्त किया है। प्रार्थीया का मिठाइयों की दुकान से कोई लेना देना नहीं है ना ही मिन प्रार्थीया मिठाइयों का कारोबार करती है। जॉच दल ने बिना जॉच पडताल किये ही मिन प्रार्थीया के घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त किया गया है, जो कि प्रार्थीया के खिलाफ जारी नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमाते हुए मिन प्रार्थीया के घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थीया को सुपुर्द किये जावे। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि मिन प्रार्थीया का जवाब स्वीकार किया जाकर मिन प्रार्थीया को जारी नोटिस के भार से मुक्त कर प्रार्थीया के घरेलू गैस सिलेण्डर जारी करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार मौके पर अप्रार्थीया के घर में संचालित कारखाने में मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था तथा उसमें व्यावसायिक सिलेण्डर के स्थान पर घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) का उपयोग किया जा रहा था। मौके पर जांच में 05 घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के भरे हुए पाये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अनिता सैनी पत्नी श्री लक्ष्मण सैनी, निवासी कच्ची बस्ती, धोबी गट्टा, अलवर द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 05 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (क्षमता 14.2 किग्रा) को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 05 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी कंपनी (क्षमता 14.2 किग्रा) सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)